

सं. आईसीएमआर/आर एंड पी प्रकोष्ठ/डीपीसी/एसीओ/2026**No. ICMR/R&PCell/DPC/ACO/2026****भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद्****INDIAN COUNCIL OF MEDICAL RESEARCH**

अंसारी नगर, नई दिल्ली / Ansari Nagar, New Delhi-110 029.

दिनांक / Dated : .06.2026

कार्यालय आदेश / OFFICE ORDER

विषय : ICMR-NIRT चेन्नई में अनुभाग अधिकारी (Section Officer) के पद पर प्रतिवर्तन (Reversion) के संबंध में।

Subject: Reversion to the post of Section Officer at ICMR-NIRT Chennai -regarding.

दिनांक 02.04.2026 के समसंख्यक कार्यालय आदेश द्वारा, श्रीमती जे. सुगुना, अनुभाग अधिकारी, एनआईआरटी चेन्नई को लेखा अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया था, साथ ही उन्हें पदोन्नति आदेश प्राप्त होने की तिथि से 10 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान करने और कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए थे। यदि 10 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि अधिकारी पदोन्नति स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं और पदोन्नति आदेश बिना किसी अग्रिम सूचना की प्रतीक्षा किए स्वतः रद्द कर दिया जाएगा। अनिवार्य कारणों को छोड़कर, पदोन्नति पर पदभार ग्रहण करने हेतु स्वीकृति प्रदान करने या अन्यथा समय-सीमा में कोई विस्तार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

Vide Office Order of even no. dated 02.04.2026, Smt. J. Suguna, Section Officer, NIRT Chennai, was promoted to the post of Accounts Officer with directions to give her acceptance for assumption of charge and join her duty to the post within 10 days from the date of receipt of the promotion order. In case, the acceptance is not received within the stipulated period of 10 days, it will be presumed that the officer is not willing to accept the promotion and the promotion order will be cancelled automatically without waiting for any further notice. No extension of time for furnishing acceptance or otherwise for joining the post on promotion will be entertained, except on compelling grounds.

2. NIRTH Jabalpur में पदस्थापन के उपरांत, अधिकारी ने NIRT, Chennai में यथावत बनाए रखने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। तत्पश्चात, अधिकारी ने दिनांक 11.05.2026 के अपने अभ्यावेदन के माध्यम से चिकित्सीय आधारों का हवाला देते हुए अपनी पदोन्नति निरस्त किए जाने का अनुरोध किया। सक्षम प्राधिकारी ने अधिकारी के अनुभाग अधिकारी (Section Officer) के पद पर प्रतिवर्तन (Reversion) को अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

Upon posting to NIRTH Jabalpur, the officer submitted representation for retention at NIRT Chennai which was rejected by the Competent Authority. Thereafter, vide representation dated 11.05.2026, the officer had requested for cancellation of her promotion citing medical grounds. The Competent Authority has given approval for the officer's reversion to the post of Section Officer.

3. अतः, श्रीमती जे. सुगुना को 11.05.2026 (पूर्वाह्न) से ICMR-NIRT, Chennai में अनुभाग अधिकारी के पद पर प्रत्यावर्तित माना जाएगा। साथ ही, पदोन्नति अस्वीकार किए जाने की तिथि अर्थात् 11.05.2026 से एक वर्ष की अवधि तक अथवा अगली रिक्ति उत्पन्न होने तक, जो भी बाद में हो, उन्हें पदोन्नति हेतु अपात्र रखा

जाएगा तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 22034/3/81-Estt. (D) दिनांक 01 अक्टूबर 1981 के प्रावधानों के अनुसार उक्त अपात्रता अवधि के दौरान उन्हें पदोन्नति का कोई नया प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, जब तक वे पुनः पदोन्नति हेतु विचार किए जाने के लिए अपनी सहमति प्रदान नहीं करतीं, तब तक उन्हें किसी भी आगामी वित्तीय उन्नयन के लिए विचारार्थ पात्र नहीं माना जाएगा।

Therefore, Smt. J. Suguna stands reverted to the post of Section Officer, NIRT Chennai w.e.f. 11.05.2026 (F/N) and she is debarred from promotion for a period of one year from the date of refusal of first promotion i.e. w.e.f. 11.05.2026 or till a next vacancy arises whichever is later and no fresh offer of promotion will be given, during debarred period in terms of DoPT O.M No. 22034/3/81-Estt (D) dated 1st Oct 1981. She shall not be eligible to be considered for further financial up-gradation till she agrees to be considered for promotion again.

4. तदनुसार, यदि वेतन/भत्तों की कोई वसूली देय हो, तो उसे संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। Recovery of pay/allowances, if any, shall be ensured by the Institute accordingly.

(रीमा शर्मा) / (Reema Sharma)

सहायक महानिदेशक (प्रशासन) / Assistant Director General (Admin)

श्रीमती जे. सुगुना / Smt. J. Suguna

लेखा अधिकारी / Accounts Officer,

एनआईआरटी चेन्नई / NIRT Chennai

प्रति / Copy to:-

1. महानिदेशक/अपर महानिदेशक (एस.पी.)/ अपर महानिदेशक (ए.एस.) / वरिष्ठ उपमहानिदेशक/वरिष्ठ वित्तीय सलाहकार, आईसीएमआर के निजी सचिव / PS to DG /Addl. DG (SP)/ Addl. DG (AS)/ Sr. DDG(A) / Sr. FA, ICMR
2. निदेशक, आईसीएमआर- एनआईआरटी चेन्नई / Director, ICMR- NIRT Chennai.
3. निदेशक, आईसीएमआर- एनआईआरटीएच जबलपुर / Director, ICMR- NIRTH Jabalpur.
4. डीडीजी(ए) /DDG(A) / एडीजी(ए) /ADG(A) / एडीजी(एफ&ए)/ADG(F&A).
5. ए.ओ. (आरक्षण प्रकोष्ठ), परिषद मुख्यालय / A.O. (Reservation Cell), ICMR Hqrs.
6. नोडल अधिकारी (आर.टी.आई. प्रकोष्ठ), परिषद मुख्यालय / Nodal Officer (RTI Cell), ICMR Hqrs.
7. बजट/गार्ड फ़ाइल / Budget/Guard file.